

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री तोलाराम पुत्र जोराजी, जाति-रेबारी, निवासी- वेरापुरा, तह. व जिला- सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरौही, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 57/2020

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक 22 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 14/2020 में पारित निर्णय दिनांक 5.10.2020 बाबत ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 78 रकबा 0.0480 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अपने पिता के जरिये पुराना कब्जा लगातार चला आ रहा है एवं अपीलार्थी ने विवादित भूमि को काशत हेतु उपयोग में नहीं लिया है, बल्कि अपीलार्थी के पास आवास एवं पशुओं रखने हेतु कोई भूमि होने के कारण विवादित भूमि पर अपीलार्थी ने वाडा व झोपडा/कच्चा मकान बनाकर मौके पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है व अपने मवेशियों को रखने हेतु विवादित भूमि को बाड़े के रूप में उपयोग में लेता आ रहा है। विवादित भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत, माकरोडा ने भी ग्राम सभा दिनांक 11.9.2014 में प्रस्ताव संख्या 4 व दिनांक 27.2.2020 को प्रस्ताव संख्या 26 पारित कर ग्राम माकरोडा के खसरा संख्या 78 की रकबा 20 बीघा भूमि को आबादी हेतु आवंटित/नियमन करने का निर्णय पारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 188 दिनांक 01.10.2020 को जारी किया है एवं खसरा संख्या 78 की रकबा 20 बीघा भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित/नियमन करने हेतु जिला कलक्टर महोदय, सिरौही को पत्र दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया है। जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय, सिरौही के पत्र क्रमांक:पं. 12(3)राज/2020/3340-41 दिनांक 14.10.2020 के द्वारा खसरा संख्या 78 की भूमि ग्राम पंचायत, माकरोडा का आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरौही को पत्र जारी किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अर्न्तगत भी ऐसे लोग/परिवार जिनके



.....पेज द
ब. वि. वि. वि.
सिरौही (राज.)



आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है को आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के प्रावधान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भी ऐसे अतिक्रमी जिनके आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है को पुर्नवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी निर्णय दिनांक 05.10.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 78 रकबा 0.0480 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर कब्जा व बाड कर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 78 किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(गितेश श्री मालवीया)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही